न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021 /
Manual no- 76/2021

(Bank Case)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय झालावाड़ रोड, कोटड़ी चौराहा, कोटा राजस्थान–324007 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री रामगोपाल वर्मा पुत्र श्री बिरधीलाल वर्मा (ऋणी/अप्रार्थीगण)
   पता– एमबीपी 38, महावीर नगर–1,कोटा (राज.)
   दुसरा पता–प्लॉट नं. 548 व 549, महावीर नगर–1,कोटा, (राज.)
   तीसरा पता– मैसर्स पूजा जेरोक्स, जे–2, जवाहर नगर, कोटा(राज.)
2. श्रीमती कौशल्या बाई वर्मा पत्नी श्री रामगोपाल वर्मा
   पता– पता– एमबीपी 38, महावीर नगर–1,कोटा (राज.)
3. श्री रामकिशन वर्मा (गारन्टर)
   पता– 33–ए, तलवण्डी, कोटा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री आर.पी.सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 08.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय झालावाड़ रोड, कोटड़ी चौराहा, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी ने टर्म लोन (आवासिय ऋण) खाते में रू. 12.75 लाख (अक्षरेः रूपये बारह लाख पिचहत्तर हजार मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 01.01.2010 को तथा बड़ौदा होम लोन लिमिट खाते में 150 लाख (अक्षरेः रूपये एक करोड पचास लाख मात्र ।) कुल ऋण 162.75/– लाख (अक्षरेः रूपये एक करोड बाषठ लाख पिचहतर हजार मात्र ।) लिया था । अप्रार्थी ऋणीं द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री रामगोपाल वर्मा पुत्र श्री बिरधीलाल वर्मा की आवसीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 548 व 549, महावीर नगर–1, कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1688.75 वर्गफिट) सीमाएं– पूर्व में– प्लॉट नं. 547 व 550, पश्चिम में–रोड़, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– रोड** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 29.03.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 1,64,01,923. 70/– (अक्षरे रूपये एक करोड चोषठ लाख एक हजार नो सौ तेईस व सत्तर पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 29.03.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है ।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री रामगोपाल वर्मा पुत्र श्री बिरधीलाल वर्मा की आवसीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 548 व 549, महावीर नगर–1, कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1688.75 वर्गफिट) सीमाएं– पूर्व में– प्लॉट नं. 547 व 550, पश्चिम में–रोड़, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– रोड** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)